

14-5-24

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित।

पत्रावली में मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। अतः अब इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली इसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

